

दिवाली के बाद अब जिले में मड़ई-मेले की धूम

गणेशगंज नवभारत। दीपावली पर्व के पश्चात दुर्ज तिथि से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मड़ई मेले की धूम देखने को मिलती है जहां प्रतिदिन तिथि अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में मड़ई मेले का होता है आयोजन जिसमें छोटे छोटे बच्चों सहित परिवार जन मड़ई मेले का लुत्फ उठाते हैं। ठीक उसी क्रम में जिले के लखनादौन विकासखंड अंतर्गत गणेशगंज में दिवाली के बाद सप्तमी तिथि को मड़ई का आयोजन किया जाता है जहां जिले के अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी बंधु अपनी संबंधित दुकानें लेकर यहां पहुंचते हैं इसके अतिरिक्त स्थानीय युवकियों (अहीर) सहित आसपास क्षेत्रों से अलग अलग टोली में यदुवशी मड़ई में पहुंचकर आकर्षित नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देते हैं जिसे देखने आसपास दर्जनों गांवों के लोग गणेशगंज पहुंचते हैं।

अलग अलग क्षेत्रों से आकर व्यापारी लगाते हैं दुकानें, पारंपरिक अहीर नृत्य रहता है आकर्षण का केंद्र



मड़ई में यह होता है आकर्षण का केंद्र

प्रत्येक मड़ई मेले में क्षेत्र अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें कहीं अहीर नृत्य प्रतियोगिता तो कहीं दंगल का आयोजन किया जाता है जहां आसपास लगे जिलों से दंगल प्रतिभागी शामिल होते हैं। बच्चों का खेल खिलौना लेने सहित झूला झूलने में उत्साह रहता है।

जिले में यहां के मेला है फेमस

लखनादौन में ग्यारस तिथि से निरंतर चार दिवस लगने वाले मेला में भारी भीड़ देखने को मिलती है जहां दोपहर से देर रात तक रहती है चहल पहल विभिन्न प्रकार के झूला, मौत का कुंआ सहित अन्य व्यापारियों द्वारा संचालित होती है दुकानें ठीक इसके पश्चात् रिखरिया बाबा मेला में यहां से दुकानें उठकर जाती हैं उसके उपरांत तीन जिलों की बाईर के बीच में लगने वाला सांड देव मेला सहित अन्य मेले मड़ई का होता है निरंतर आयोजन जहां लोगों का उत्साह उमंग उल्लास देखने योग्य होता है।

ग्राम पंचायत ने मड़ई की बढ़ाई समय सीमा

ग्राम गणेशगंज की प्रसिद्ध सप्तमी तिथि (सांते) को लगने वाली मड़ई इस वर्ष 27 अक्टूबर दिन सोमवार तथा 28 अक्टूबर दिन मंगलवार (सप्तमी व अष्टमी तिथि) दो दिवसीय मड़ई का भव्य आयोजन किए जाने संदेश जारी किया वही ग्राम पंचायत गणेशगंज ने समस्त व्यापारी बंधु को अवगत कराया कि यह दो दिवसीय मड़ई बिल्कुल टैक्स फ्री होगी जिसमें किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले व्यापारी बंधु सहित अन्य दुकानदारों को रहने की समूचित व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी।

पक्षकार और अधिवक्ता हैं परेशान

लगभग एक माह से कोर्ट बंद होने जैसे हालात

घंसौर नवभारत। तहसील मुख्यालय घंसौर में स्थित सिविल न्यायालय शोभा को सुपारी बनकर रह गया है, लगभग एक माह से न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं बैठने के कारण अधिवक्ताओं और उनके पक्षकारों को परेशान होना पड़ रहा है आलम यह है कि घंसौर के अधिवक्ताओं और पक्षकारों को मामलों की त्वरित सुनवाई एवं कार्यवाही के लिए लखनादौन न्यायालय की शरण लेना पड़ रहा है जिसके लिए उन्हें एक ही मामले की कार्यवाही हेतु कई बार आवामगन करना पड़ता है जिससे ग्रामीण पक्षकारों को अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट घंसौर में श्रीमती पूर्णिमा सैयाम को न्यायाधीश वर्ग 1 के रूप में पदस्थ किया गया था लेकिन उनके अनिश्चित रूप से अवकाश पर चले जाने से न्यायालय घंसौर के मामलों की सुनवाई पर लगभग विराम सा लग गया है बहरहाल मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के चलते प्रकरणों की सुनवाई को लखनादौन स्थानांतरित कर दिया गया है बताया जा रहा है कि रिमांड जमानत, वारंट जमानत, सुपुर्दनामा, अस्थाई निषेधाज्ञा व अन्य कार्यवाही के लिए मामलों से जुड़े पक्षकारों को परेशानी उठाना पड़ रहा है लगभग एक माह से कोर्ट



की कार्यवाही व अन्य कार्य बंद होने जैसे हालात बन चुके हैं, विधि एवं विधायी परिषद भोपाल मद्र द्वारा 15 मई 2017 से घंसौर में सिविल कोर्ट प्रारंभ किया गया था जहां स्थानीय स्तर पर कोर्ट खोले जाने से मामलों से जुड़े पक्षकारों को राहत मिल रही थी। बताया तो यह भी जा रहा है कि घंसौर और किंदरई थाना से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कोर्ट प्रारंभ होने के बाद संचालित होने लगी थी, वहीं वर्तमान समय में कोर्ट में लगभग 1700 अपराधिक मामले जबकि 130 से अधिक सिविल मामले लंबित हैं जिनकी सुनवाई घंसौर सिविल न्यायालय में होती है। देखा जा रहा है कि लिस्टेड व लंबित मामलों की पेशी दिनांक को प्रकरणों से संबद्ध कई गवाह अपनी गवाही देने न्यायालय पहुंच रहे हैं किंतु उन्हें भी बैरंग लौटना पड़ रहा है इससे गवाहों के बेवजह परेशान होने के साथ ही प्रकरणों को गति नहीं मिल पा रही है, एक माह से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित

इन्का कहना है

सिविल कोर्ट घंसौर में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाये के कारण लंबित प्रकरणों के पक्षकारों को परेशानी हो रही है प्रकरणों की नकल प्राप्त नहीं हो रही है इस संबंध में संघ द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया गया है शीघ्र कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

संराम प्रताप सिंह, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ घंसौर

कोदो एवं कुटकी के पंजीयन की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी

सिवनी। मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के मार्गदर्शन में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कंसोर्टियम ऑफ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा कोदो एवं कुटकी की उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पोर्टल पर कोदो एवं कुटकी का पंजीयन अब 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। पूर्व निर्धारित अवधि 24 अक्टूबर थी, जिसे किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है। जिले में पंजीयन हेतु कुल पाँच पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या, हुंवारिया, विकासखंड छपारा, लखनादौन प्रक्रिया एवं विण्णन संस्था मर्या, लखनादौन, विकासखंड लखनादौन, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या, धूमा, विकासखंड लखनादौन, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या, घंसौर, विकासखंड घंसौर तथा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या, केदारपुर, विकासखंड घंसौर शामिल हैं।

एसडीओपी पूजा पांडे को नहीं मिली जमानत

सिवनी। लगभग 3 करोड़ के हवाला मामले में फंसि निर्लंबित एसडीओपी पूजा पांडे को जिला अदालत की विशेष न्यायालय से नहीं मिली जमानत। सभी 11 पुलिसकर्मी भी 30 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज शनिवार को सुनाया गया। एसडीओपी पूजा पांडे के अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया कि एक ही घटना में कानून के विरुद्ध दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो गलत और वरोधाभासी हैं। यदि अधियोजन पक्ष की बात मान भी ली जाए कि हवाला कारोबारी को 50 प्रतिशत राशि लेकर छोड़ा गया तो यह भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, डकैती का नहीं। पूरा



मामले को संदिग्ध बताया। पूजा पांडे के अधिवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि वास्तविक हवाला व्यापारी कौन था, पैसा किसका था, कहा जा रहा था और किस प्रयोजन से। आशंका जताई कि यह राशि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने जा रही हो सकती है। यह भी बताया कि महिला अधिकाारी का बच्चा बीमार है और पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। शासन की ओर से अधियोजन विभाग के उपसंचालक ने जमानत अर्जी के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किया था। कल सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

एक नजर में

16 अधिवक्ताओं ने भरा नामांकन पत्र

सिवनी। जिला अधिवक्ता संघ सिवनी में 25 अक्टूबर से अधिवक्ता संघ के चुनाव कार्यक्रम के प्रथम दिन 16 अधिवक्ताओं ने नामांकन फार्म भरा किये तथा शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद हेतु दो फार्म रिदेश आहवाज एवं सुनील कुमार पाण्डे ने फार्म नाम किया तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अजय कुमार दुबे सहसचिव पद हेतु अरुण सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष पद हेतु श्रीराम बघेल, कार्यकारिणी सदस्य हेतु संतोष कुमार सारोटे, अमोल चौरसिया अभिषेक भगत, रोहित कुमार बघेल, ने अपने फार्म नाम भिजे।

4 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार



सिवनी। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, एसडीओपी लखनादौन अपूर्व भलावी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी जिन. आशीष धुवं एवं पुलिस स्टॉफ द्वारा फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। अदिगांव थाना में आर्म एक्ट के मामले में फरार आरोपी का स्थाई वारंट जारी किया गया था। उक्त वारंट की तामीली आरोपी मनोज पिता चन्द्रकांत विश्वकर्मा नि. ग्राम ओझरा की लगातार तलाश पतासाजी की जा रही थी। सूचना मिली कि वारंटी मनोज विश्वकर्मा अपने घर दीपावली त्योहार मनाने आया है। त्योहार के बाद भगने की फिराक था। तत्काल मुखबिर् की सूचना पर पुलिस स्टॉफ द्वारा वारंटी की घेराबंदी कर पकड़ गया मौके की प्राथमिक कार्यवाही की जाकर वारंटी को न्यायालय पेश किया गया है।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

सिवनी। घंसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरी में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक सुरेश पिता चेतनम यादव (26) ने अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों ने जब उसे फंदे पर लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पनगामा की है। शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मर्म कायम कर मामले की जांच शुरू कर रहे हैं।



हादसे में मौत : एनएच पर शव रखकर लगाया जाम

सिवनी नवभारत। शुक्रवार रात सुकलारा में हुए एक दर्दनाक कार हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत आज सुबह शनिवार को मृतक के परिजनों और आक्रोशित गांव वालों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा कल देर रात हुआ। हादसे के बाद गांव वालों और परिवारजनों ने मृतक के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए एनएच 44 को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और को मांग कर रहे हैं।

जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वे प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है, और प्रशासन जल्द से जल्द यातायात बहाल करने की कोशिश में जुटा है।

यह चौक अत्यधिक व्यस्त रहता है, जहाँ से सदीपनी विद्यालय के छात्र-छात्राएँ भी प्रतिदिन गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे बड़े वाहनों के खड़े रहने और पास ही किराना दुकानों पर होने वाली खरीदारी के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

रोजाना बनी रहती है दुर्घटनाओं की आशंका

मां काली के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, खप्पर आरती आज

बरघाट नवभारत। नगर के मंगल भवन के सामने दीपावली के पावन अवसर पर विराजित मां काली के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नरक चतुर्दशी के अवसर पर मां काली की स्थापना मां काली पूजा समिति के द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। मां काली मंडप के समीप न्यू बस स्टैंड पर प्रदर्शनी भी आयोजित है, जिसमें क्षेत्रवासी भारी संख्या में पहुंच प्रदर्शनी का आनंद उठा रहे हैं।



आराधना में डूबा हुआ है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रविवार के दिन मां कालिका की भव्य खप्पर आरती के पश्चात विशाल भंडारा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में

श्रद्धालु गण भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। मां काली दर्शनार्थ हेतु भक्तगण पहुंच रहे हैं। 127 अक्टूबर दिन शाम 5:00 बजे मां काली की शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात विसर्जन स्थल पर पहुंचेगी।

कार्बाइंट गन के उपयोग पर एडवाइजरी जारी

सिवनी। दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में बच्चों के खिलौने के रूप में कार्बाइंट गन की बिक्री बढ़ जाती है, जो देखने में भले ही खिलौना लगती है, किंतु इसके उपयोग से बच्चों को गंभीर चोट लगने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कार्बाइंट गन के उपयोग पर एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी नागरिक द्वारा कहीं से भी कार्बाइंट गन खरीदी गई है, तो उसका उपयोग बिल्कुल न करें। प्रशासन ने कहा है कि कार्बाइंट के प्रयोग से गैस उत्पन्न होती है, जो विस्फोटक प्रभाव डाल सकती है और इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

श्रीमद्भागवत साक्षात् नारायण का स्वरूप है : मिश्रा

सिवनी नवभारत। नगर के कबीर वार्ड इंडासिवनी केंद्रीय विद्यालय के समीप साई नगर दिलबाग नगर में क्षेत्र की समस्त महिला मंडल साई नगर, दिलबाग नगर, इंडासिवनी के तत्वावधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे।



कथा व्यास पंडित दिनेश मिश्रा ने श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने आगे बताया कि कहा कि श्रीमद्भागवत साक्षात् नारायण का स्वरूप है जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। उन्होंने कहा कि सत्य में ही राम, कृष्ण और शिव का वास है यही कारण है कि इसे सत्यम



शिवम सुंदरम कहा गया है। उन्होंने बताया कि परिवार का पालन-पोषण करना भी धर्म है, परंतु हर क्षण में प्रभु का स्मरण ही मानव जीवन का परम धर्म है। कथा में भगवान के 24 अवतारों, व्यास जी, शुक्रदेव जी, राजा परीक्षित, कृत्वी स्तुति तथा वराह अवतार की दिव्य लीलाओं का

वर्णन किया गया। जन्म-जन्मांतर और युग-युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है, तब ऐसा अनुष्ठान होता है। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। वेदों का सार युगों-युगों से मानवजाति तक पहुंचता रहा है। भागवत पुराण वही सनातन ज्ञान प्रवाह है, जो वेदों से प्रवाहित होती चली आई है। इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। उन्होंने सुनाया कि युद्ध में गुरु द्रोण के मारे जाने पर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया।

आयोजन अहिंसा द्वार का लोकार्पण एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित

पिच्छिका लेने वालों की ताली बजाकर अनुमोदना करना चाहिए

सिवनी नवभारत। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सिवनी मध्य प्रदेश में महासमाधि धारक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित एवं परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं ब्रह्मचारी मनोज भैया जबलपुर के निर्देशन में 25 अक्टूबर को दोपहर को बेला में मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुईं, अहिंसा द्वार का लोकार्पण समारोह हुआ, एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ।



के साथ बुधवारी नगर पालिका चौक नेहरू रोड पहुंचें वहां अहिंसा द्वार लोकार्पण समारोह हुआ, एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ। पिच्छिका परिवर्तन समारोह दोपहर में संपन्न हुआ जिसमें भारत के कई नगरों से लोग शामिल हुए।

प्रातःकाल अभिषेक, शांतिधारा, मुनि श्री के सानिध्य में हुई। मंगलानुष्ठान, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलित, शास्त्र अर्पण, पाद प्रक्षालन, हुआ आचार्य श्री की महा पूजन मुनि श्री भाव सागर जी के मुखारबिंद से संपन्न हुई इस अवसर पर धर्म सभा को

संबोधित करते हुए मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने कहा कि आज का दिवस संयम उपकरण परिवर्तन का दिन है मुद्रा मान्य होती है मुनि के पास पिच्छि कमंडल है तो वह मान्य है उपकरण वही कहलाते हैं जो आत्मा का उपकार करते चले जाएं जिसके हृदय में सदा दया

रहती है वह, सर्वोत्कृष्ट मंगल है पिच्छिका लेने वालों की ताली बजा कर अनुमोदना करो, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने कहा कि यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने कहा कि पिच्छिका लेने का सौभाग्य रोहित कुमार जैन श्री मती आरतीजैन, कान्हीवाड़ा परिवार को प्राप्त हुआ। मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य श्री, चंद्रशेखर आजाद सुमितकुमार जैन श्रीमती रमा जैन परिवार को प्राप्त हुआ। पाठशाला के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति दी गई, मंच संचालन मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने किया। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न नगरों से लोग शामिल हुए।

आज मिशन ग्राउंड में होगा आदिवासी बचाओ आंदोलन

सिवनी नवभारत। बिरसा ब्रिगेड संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सतीश पेंढाम ने कहा कि संस्कृति की निर्माता ही वास्तविक भारत माता हैं। जल, जंगल और जमीन हमारी पहचान हैं, इन्हीं के संरक्षण से भारत की आत्मा बची रहेगी। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से मिशन स्कूल ग्राउंड, सिवनी में आदिवासी बचाओ आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इंजी. पेंढाम ने कहा कि बिरसावाद महज एक आंदोलन नहीं, बल्कि सदियों

से शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आदिवासियों की सांस्कृतिक समाजवादी विचारधारा है। भारत की मूल संस्कृति जल-जमीन-जंगल से जुड़ी है, जिसे पूजनीय माना गया है। आज वही संस्कृति संकट में है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से आदिवासियों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया है, लेकिन उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। कार्यक्रम में देशभर से आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट

के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक उपस्थित रहेंगे। इंजी. पेंढाम ने कहा कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, और उन्हें उनके मूल अधिकार व सम्मान दिलाए हर नागरिक और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी है। इस आंदोलन के माध्यम से बिरसा ब्रिगेड, मिशन आदिवासी भारत, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और अन्य संगठन मिलकर आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण का संकल्प लेंगे।

श्री श्याम आयुर्वेदिक

गुप्त रोगी मिलें, जोश व टाईम बढ़ायें

श्री श्याम आयुर्वेदिक, गोपाल मेडिकल के सामने, आशीर्वाद हास्पिटल के पास, शुक्रवारी सिवनी 01, 8989145127